(P) संख्या–1393 / 29–6–09–89सा0 / 09

A.DM(E)
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा निर्देशों का अनुपालन करायें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद
20-5-2009

प्रेषक,

जैकब थॉमस,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर,
रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर।

2– जिलापूर्ति अधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर,
रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2009

विषयः– नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपदों में ई–डिस्ट्रिक्ट के परियोजना के माध्यम से इलेक्ट्रानिकल राशन कार्ड निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–851 / 1–4–08–82 बी–4 / 08, दिनांक 17–4–08 के द्वारा आपके जनपद में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पायलट आधार पर क्रियान्वयन तीव्रगति से किया जा रहा है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड निम्नलिखित समयसीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है :–

1730/E RK

क्र0	मद	निर्धारित समयसीमा
1	2	3
क	ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड की मूलप्रति निर्गत किया जाना।	अधिकतम 10 दिन
ख	ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड की डुप्लीकेट प्रति निर्गत किया जाना।	उसी दिन
ग	ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड की अद्यावधिक प्रति निर्गत किया जाना।	उसी दिन
घ	ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशन कार्ड का अभ्यर्पण किया जाना।	उसी दिन

DSO
कृपया आप कार्य करें, DSO को लिखें
ADM(E)
21/5

.......2/–

2– राशन कार्ड निर्गत कराने के लिए आवेदक को निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा :–

(क) आवेदक को अपने निकटतम् कामन सर्विस सेण्टर में जाकर सेण्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप (जो आपरेटर के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेगा) पर राशन कार्ड निर्गत करने के लिए अनुरोध करना होगा।

(ख) आवेदक को अपनी पहचान एवं निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) कामन सर्विस सेण्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

(घ) आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कामन सर्विस सेण्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायगा।

(च) फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा फार्म आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।

(छ) आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियाँ सही पायी जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा।

(ज) तदुपरान्त कामन सर्विस सेण्टर द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी (नगरीय क्षेत्रों में जिलापूर्ति अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा, जो प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेंगे।

(झ) प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों की वैधता/पूर्णता आदि की जाँच करके नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी जाँच आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(ट) आवेदन पत्रों के निस्तारण में यदि विलम्ब होता है तो Escalation Matrix के अनुसार व्यवहरित होगा।

(ठ) प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय/जारी राशन कार्ड भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ड) उपर्युक्त व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण मात्र करने के लिए की गयी है। राशन कार्ड निर्गत करने हेतु अन्य शर्ते व नियम पूर्ववत् रहेंगे।

3– उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करायी जाती हैं। यह शासन की महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकताप्राप्त योजना है जिसमें

.......3/–

पारदर्शिता तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के उठान एवं वितरण तथा कोटेदारों की स्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जैकब थॉमस)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1393(1)/29–6–09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– आयुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद मण्डल।

आज्ञा से,

(जैकब थॉमस)
प्रमुख सचिव।